

कार्यालय उप पंजीयक (उपतहसीलदार) दूदू जिला जयपुर (राज0)
कृषि भूमि इकाई दर प्रति बीघा (बीघा = 3025 वर्गगज)

प्रचलित डी एल सी दर दिनांक 08.03.11 से 25.03.12 तक							डी एल सी दर दिनांक 26.03.2012 से लागू					
क्र.सं.	नाम ग्राम	प्रथम दर (सड़क के लगवा 500 मीटर तक)	द्वितीय दर (सड़क से 500 मीटर से 1 कि०मी० तक)		तृतीय दर (सड़क से 1 कि०मी० के बाद)		प्रथम दर (सड़क के लगवा 500 मीटर तक)	द्वितीय दर (सड़क से 500 मीटर से 1 कि०मी० तक)		तृतीय दर (सड़क से 1 कि०मी० के बाद)		विशेष विवरण
			सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित		सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	आदरवा	98118	90563	83019	75475	67931	107930	99619	91321	83023	74724	
2	उदयपुरिया	135850	128306	120750	113206	105662	149435	141137	132825	124527	116228	
3	खाजपुरा	98118	90563	83019	75475	67931	107930	99619	91321	83023	74724	
4	गहलोता	98118	90563	83019	75475	67931	107930	99619	91321	83023	74724	
5	छिर्	98118	90563	83019	75475	67931	107930	99619	91321	83023	74724	
6	जड़ावता	98118	90563	83019	75475	67931	107930	99619	91321	83023	74724	
7	झखोलड़	98118	90563	83019	75475	67931	107930	99619	91321	83023	74724	
8	जसपुरा	135850	128306	120750	113206	105662	149435	141137	132825	124527	116228	
9	जैकमपुरा	135850	128306	120750	113206	105662	149435	141137	132825	124527	116228	
10	दांतड़ा	113206	105662	98118	90563	83019	124527	116228	107930	99619	91321	
11	देवपुरा	150938	143394	135850	128306	120750	166032	157733	149435	141137	132825	
12	नयागांव	150938	143394	135850	128306	120750	166032	157733	149435	141137	132825	
13	नानण	135850	128306	120750	113206	105662	149435	141137	132825	124527	116228	
14	नीमली	135850	128306	120750	113206	105662	149435	141137	132825	124527	116228	
15	नोल्या	196225	181125	166037	135850	120750	215848	199238	182641	149435	132825	
16	पंवालिया	105662	98118	90563	83019	75475	116228	107930	99619	91321	83023	
17	पानवां कलां	98118	90563	83019	75475	67931	107930	99619	91321	83023	74724	
18	पींगून	98118	90563	83019	75475	67931	107930	99619	91321	83023	74724	

क्र.सं.	नाम ग्राम	प्रथम दर (सड़क के लगवा 500 मीटर तक)	द्वितीय दर (सड़क से 500 मीटर से 1 कि०मी० तक)		तृतीय दर (सड़क से 1 कि०मी० के बाद)		प्रथम दर (सड़क के लगवा 500 मीटर तक)	द्वितीय दर (सड़क से 500 मीटर से 1 कि०मी० तक)		तृतीय दर (सड़क से 1 कि०मी० के बाद)		विशेष विवरण
			सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित		सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	बिंगोलाव	135850	128306	120750	113206	105662	149435	141137	132825	124527	116228	
20	बिंजोलाव	196225	181125	166037	135850	120750	215848	199238	182641	149435	132825	
21	बोकड़ावास	105662	98118	90563	83019	75475	116228	107930	99619	91321	83023	
22	ममाणा	181125	166037	150938	135850	120750	199238	182641	166032	149435	132825	
23	मरवा	166037	150938	135850	128306	120750	182641	166032	149435	141137	132825	
24	मोरड़ा	166037	150938	135850	128306	120750	182641	166032	149435	141137	132825	
25	मालेड़ा	196225	181125	166037	135850	120750	215848	199238	182641	149435	132825	
26	मोरड़ी कलां	105662	98118	90563	83019	75475	116228	107930	99619	91321	83023	
27	लदेरा	196225	181125	166037	135850	120750	215848	199238	182641	149435	132825	
28	श्योपुरा	135850	128306	120750	113206	105662	149435	141137	132825	124527	116228	
29	साखून	181125	166037	150938	135850	120750	199238	182641	166032	149435	132825	
30	साली	135850	128306	120750	113206	105662	149435	141137	132825	124527	116228	
31	सिरोही कलां	181125	166037	150938	135850	120750	199238	182641	166032	149435	132825	
32	सुरी	98118	90563	83019	75475	67931	107930	99619	91321	83023	74724	
33	हटुपुरा	181125	166037	150938	135850	120750	199238	182641	166032	149435	132825	

1. प्रमाणित किया जाता है कि गत वर्ष के मुकाबले दरों में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 10 प्रतिशत प्रचलित डी.एल.सी दरों पर बडोतरी कर अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

उप पजीयक
उप तहसील दूदू

कार्यालय उप पंजीयक (उपतहसीलदार) दूदू जिला जयपुर (राज0)

आवासीय एवं व्यावसायिक इकाई दर (प्रति वर्गमीटर)

प्रचलित डी एल सी दर दिनांक 09.03.2011 से 25.03.2012 तक								डी एल सी दर दिनांक 26.03.2012 से लागू						
क्र.सं.	नाम ग्राम	एन एच 8 पर		ग्राम में		सम्पर्क सड़क पर		एन एच 8 पर		ग्राम में		सम्पर्क सड़क पर		विशेष विवरण
		आवासीय	वाणिज्य	आवासीय	वाणिज्यिक	आवासीय	वाणिज्यिक	आवासीय	वाणिज्य	आवासीय	वाणिज्यिक	आवासीय	वाणिज्यिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	गहलोता	लागू नहीं है	लागू नहीं है	230	610	391	909	लागू नहीं है	लागू नहीं है	253	671	430	1000	
2	दूदू	1208	5440	610	2726	771	3623	1329	5984	671	2999	848	3985	
3	बिंजोलाव	लागू नहीं है	लागू नहीं है	230	610	391	909	लागू नहीं है	लागू नहीं है	253	671	430	1000	
4	ममाण्णा	लागू नहीं है	लागू नहीं है	230	610	391	909	लागू नहीं है	लागू नहीं है	253	671	430	1000	
5	मरवा	लागू नहीं है	लागू नहीं है	230	610	391	909	लागू नहीं है	लागू नहीं है	253	671	430	1000	
6	लदेरा	लागू नहीं है	लागू नहीं है	230	610	391	909	लागू नहीं है	लागू नहीं है	253	671	430	1000	
7	साखून	लागू नहीं है	लागू नहीं है	311	771	610	1518	लागू नहीं है	लागू नहीं है	342	848	671	1670	
8	साली	लागू नहीं है	लागू नहीं है	230	610	391	909	लागू नहीं है	लागू नहीं है	253	671	430	1000	
9	अन्य ग्राम	लागू नहीं है	लागू नहीं है	230	610	391	909	लागू नहीं है	लागू नहीं है	253	671	430	1000	

- नोट :
1. प्रमाणित किया जाता है कि गत वर्ष के मुकाबले दरों में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है।
 2. राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 10 प्रतिशत प्रचलित डी.एल.सी दरों पर बड़ोतरी कर अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

उप पंजीयक
उप तहसीलदार दूदू

कार्यालय उप पंजीयक (उपतहसीलदार) दूदू जिला जयपुर (राज0)

कृषि भूमि इकाई दर प्रति बीघा (बीघा = 3025 वर्गगज)

प्रचलित डी एल सी दर दिनांक 08.03.11 से 25.03.12 तक							डी एल सी दर दिनांक 26.03.2012 से लागू					
क्र.सं.	नाम ग्राम	प्रथम दर (सड़क के लगवा 500 मीटर तक)	द्वितीय दर (सड़क से 500 मीटर से 1 कि०मी० तक)		तृतीय दर (सड़क से 1 कि०मी० के बाद)		प्रथम दर (सड़क के लगवा 500 मीटर तक)	द्वितीय दर (सड़क से 500 मीटर से 1 कि०मी० तक)		तृतीय दर (सड़क से 1 कि०मी० के बाद)		विशेष विवरण
			सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित		सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 दूदू	1358438	754688	679225	301875	241500	1494282	830157	747148	332063	265650	
2	सम्पर्क सड़क व अन्य दर ग्राम दूदू	716956	679225	641493	301875	241500	788652	747148	705642	332063	265650	

- नोट : 1. प्रमाणित किया जाता है कि गत वर्ष के मुकाबले दरों में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार 10 प्रतिशत प्रचलित डी.एल.सी दरों पर बढोतरी कर अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

उप पंजीयक
(उपतहसीलदार) दूदू